

Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 1922 /DRA Dated 17 May 15.

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 0-12-12 hectcs of forest land proposed to be diverted in favour of Asstt. Engineer H.P.Electercity Board Nagrota Bagwan in Kangra Distt.falls within jurisdiction of Jadrangal village in Dharamshala Tehsil.

It is further certified that:

- (m) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-12-12 hectcs of forest land proposed for Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to VI.
- (n) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before (each) concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (o) the Sethu Nala,Bhaenta & Thala Gram Sabhas have certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificates issued by the Gram Sabha Balla enclosed as annexure I.
- (p) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (q) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha Balla has been given their consent to it,
- (r) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.

Encl. As above.


Ritesh Chahal, IAS
Distt Collector,
Kangra at Dharmshala

OFFCIE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, DISTRICT KANGRA (H.P)

Proceedings of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights Act (FRA,2006

A meeting of the District level Committee of Kangra District, constituted under FRA,2006 was held under the Chairmanship/chairpersonship of Mr/Ms.- RITESH CHAUHAN Deputy Commissioner, Kangra on 10-11-2015 ~~on~~ at 11-00AM /PM at Dharamshala (Place) in which As informed by SDO(Civil) Dharamshala, no application was received from Balla Jadrangal Gram Sabha claiming right in 0-12-12 Hect.forest area.

Place: Dhara

Date: 17-12-15


DC. Cum-Chairman/Chairperson
Kangra at Dharamshala

(3)

आज 07/08/2015 प्रातः 11.00 बजे को कार्रवय उपमण्डल अधिकारी (नं०) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दुसरे अधिकारों पर प्रभाव ना पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्डलीय स्तर कमटी की बैठक श्री श्रवण मान्टा उपमण्डल अधिकारी (नं०) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिस में निम्नलिखित मामलों की घर्या की गई-

- 1 महाल कण्ठ में, जदरांगल से कण्ठ वगयांडा सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कुल भूमि 0-90-01 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।
- 2 महाल टुण्ड्रा में टुण्ड्रा से धनोटू सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कुल भूमि 0-62-40 है० व महाल चढ़ी धनोटू में 0-14-10 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।
- 3 महाल ठारु में मकांडी से खसैवर सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कुल भूमि 0-24-80 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।
- 4 महाल ठारु में ललेटा से वन्न महांदेव सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कुल भूमि 0-73-30 है० व महाल अटेच्छा में 0-61-83 है० कुल भूमि 2 महाल 1-35-13 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।
- 5 महाल वन्ला जदरांगल में 33/11 के०वी० विधुत सञ्च स्टेशन के निर्माण हेतु कुल भूमि 0-12-12 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।
- 6 महाल टहू व चोहला में इन्द्रु नाग से चोहला सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कुल भूमि 0-36-43 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।
- 7 महाल जूहल में जूहल सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कुल भूमि 0-63-56 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।
- 8 महाल रुहड़ में लोहारकड़ से रुहड़ सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कुल भूमि 0-28-82 है० मलकीयती सरकार हि० प्र० कब्जा वन विभाग की अंजित की जानी है।

क्रमांक

नाम पदाधिकारी

1

वन परिक्षेत्र आधिकारी,
धर्मशाला सदस्य

० धर्मशाला
५९
वन परिक्षेत्र आधिकारी
धर्मशाला

Tehsildar
Pharamshala (H.P.)

Signed

2

तहसीलदार,
धर्मशाला सचिव एवं सदस्य

3

श्रीमति सीमा० देवी पत्नी श्री गगन कुमार
गाँव नरवाणा डाकघर योल तह० धर्मशाला
जिला कौंगड़ा हि० प्र० सदस्य पंचायत समिति

4

श्रीमति जीतम कुमारी पुजी श्री प्यारे लाल
निवासी गाँव व डाकघर रक्कड तह० धर्मशाला
जिला कौंगड़ा हि० प्र० सदस्य पंचायत समिति

5

श्री विक्रम सिंह पुज्र उज्जवल सिंह गाँव डाकघर
नागन पट तह० धर्मशाला जिला कौंगड़ा हि० प्र०
सदस्य पंचायत समिति मैन्वर मो० न०

उप सदस्य अधिकारी (ना)
धर्मशाला

(407)

(4)

(30)

नियमित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा बलला

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ५२.

दिनांक १०-७-२०१५

वन अधिकार समिति ग्राम सभा BALLA SADRANGAL की बैठक आज दिनांक १०-७-१५ को १०-८ बजे रथाल ९-८-०१ में श्री/श्रीमति महानीत दत्त गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत १०-८ वन अधिकार समिति ग्राम सभा बलला जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें किन्नुर विभाग हासा ३३/१। ** २X1.6 MUA S6.6 Stellar नियमण पर नं. ०१२-१२ दैवतघर वन भूमि के उपरोक्त की बंजूरी प्रस्तुतियाँ हैं) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए दाव लासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर दावों वाले गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा हासा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क००३०

* पात्र ग्राव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

२

जड़ानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क००३०

* पात्र ग्राम वासी का नाम

१.

२.

रामलाल

ग्राम सभा द्वारा दावे/इन दावों को निरस्त करने की विधारिणी

(बंजूरी है।)

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बलला जापश्चाल

दिनांक

०१-८-१५

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा समाप्त वन अधिकार समिति

बलला

* ग्रामवासी/ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रार्जनकट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

संलग्न घूस्ताव प्रतिलिपि

अनुमोदित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बल्ला
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ६२

दिनांक १०-७-१५

ग्राम सभा BALLA JADRANGAL की बैठक आज दिनांक १०-७-१५ को १०.०० बजे स्थान बल्ला में श्री/श्रीमति शुभ नाल दह की अध्यक्षता की गई जिसमें विद्युत विभाग द्वारा ३३/११* २१.६ MVA, Sub Sh. के निर्माण के लिए ०१२-१२ डेक्टेयर भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हैं इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति शिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए दावे वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों द्वावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क०स०

* पात्र ग्राम वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्य

1.

2.

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित कर देता है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क०स०

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निररत करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

बल्ला

जंगल/वन क्षेत्र सेक्योड़ी में

दिनांक

१०-७-१५

आधिकृत दस्ताखरकारी

ग्राम सभा सांघिक वन आयोग

सांघिक

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के बहुल किया है।

** प्रोलैपट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन पूर्व उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा..... बल्ला जाप्रागल
विकास खण्ड..... नगरीपा कर्गो, जिला..... कांमड़ा
(हिंगोरा)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 05-4-2015

क्रमांक 124
368

प्रस्ताव संख्या 11

विषय:

Sub-station के निर्माण हेतु

जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

विभाग/ संस्था को 33/11 KV, 2X1.6 MVA

0-12-12

हैवटेयर वन भूमि का

ग्राम सभा

BALLA SADRANGAL

को 11.10 वी. मई, जिसमें
स्थेत्र के निर्माण हेतु

(CHPSEBL) विद्युत

0-12-12

बजे, रथान कार्मिलप शाम पंचायत कला में

विभाग/ संस्था को 33/11 KV, 2X1.6 MVA,

जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित

उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।
सभी ग्रामवासियों ने सुबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त आधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी
प्रक्रिया पूरी की जा रही है कर ली गई है तथा प्रस्तावित हैवटेयर वन भूमि को
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा 124 की
सहमत दी जाती है।

स्थान..... बल्ला
दिनांक..... 05-4-2015

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा..... बल्ला जाप्रागल

